नमामि गंगे

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

जैव विविधता एवं गंगा संरक्षण परियोजना

ग्राम स्तरीय सूक्ष्म कार्ययोजना

ग्राम – तिनटंगा दियारा दक्षिण

विकासखंड – रंगराचौक

जनपद – भागलपुर, बिहार

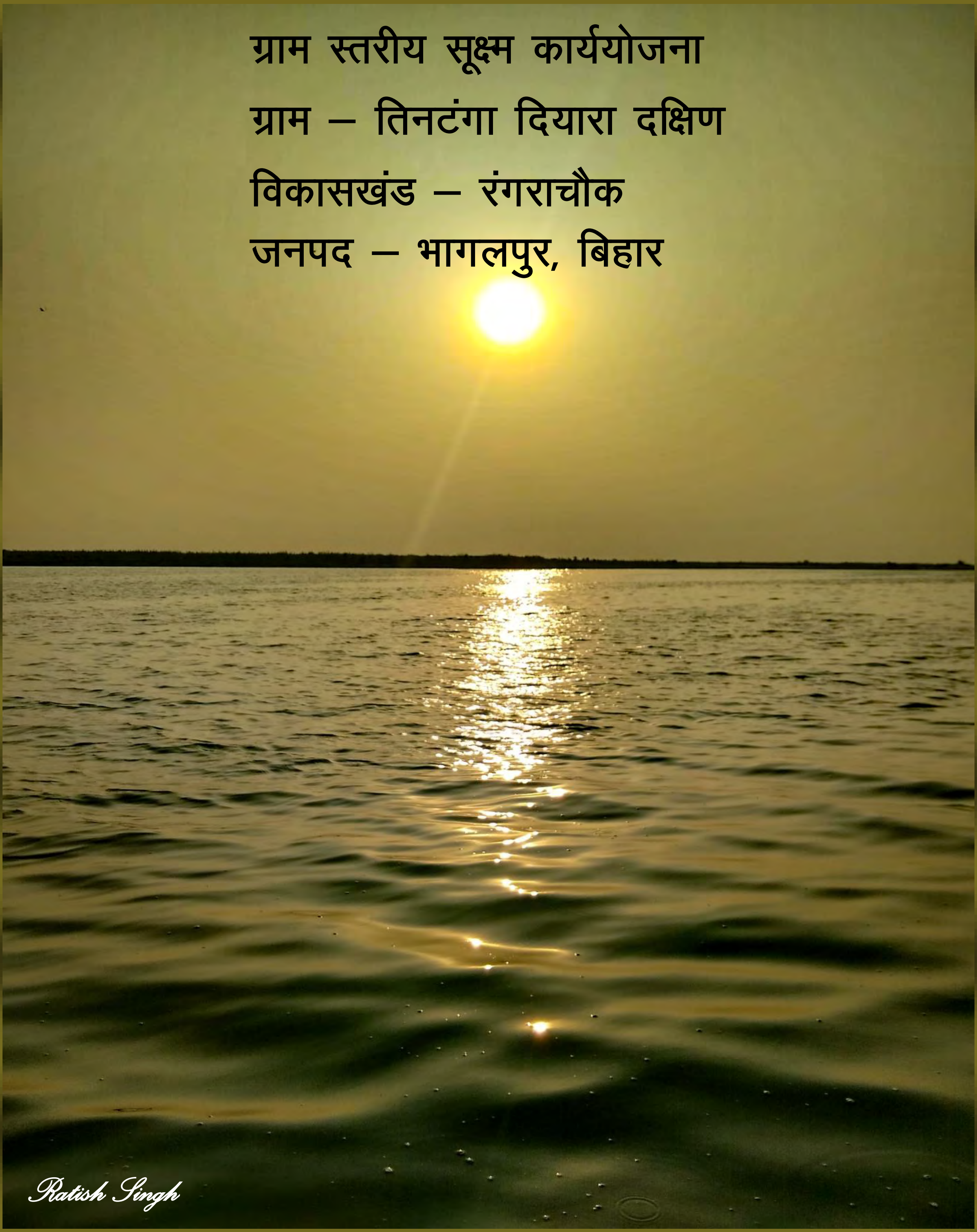

सूक्ष्म नियोजन	
ग्राम पंचायत	तिनटंगा दियारा दक्षिण
विकासखंड	रंगराचौक
जनपद	भागलपुर
राज्य	बिहार
कुल बजट	20,32,000.00
क्रियान्वयन अवधि	5 वर्ष (2020–2024)

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

2019

विषय – वस्तु

परिचय	1
भाग – 1 प्रस्तावना	5
भाग – 2 ग्राम पंचायत का विवरण	7
2.1 ग्राम पंचायत का संक्षिप्त विवरण	7
2.2 ग्राम पंचायत चयन के मानक	7
2.3 ग्राम पंचायत चयन की प्रक्रिया	7
2.4 सामाजिक एवं जनसंख्यात्मक विवरण	8
2.5 आर्थिक स्थिति एवं व्यवसाय	8
2.6 ग्राम पंचायत में पेयजल एवं स्वच्छता की स्थिति	9
2.7 कृषि एवं पशुपालन	9
2.8 वर्षा व अन्य जल संसाधनों का विवरण	9
2.9 ग्राम पंचायत तक पहुँच एवं संचार के साधनों की उपलब्धता एवं स्थिति	10
2.10 ग्राम पंचायत व उसके आसपास वन संसाधन व जैवविविधता का विवरण	10
2.11 समुदाय की गंगा नदी पर निर्भरता	10
2.12 ग्राम पंचायत में चल रहे/पूर्व में संचालित जैवविविधता कार्यक्रम की जानकारी	11
2.13 ग्राम पंचायत में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं/विभागों/कार्यक्रमों का विवरण	11
भाग – 3 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक (Stakeholders)	12
भाग – 4 समस्या विश्लेषण	14
भाग –5 नियोजन का उद्देश्य	16
भाग – 6 प्रस्तावित कार्यक्रम तथा रणनीति	18
6.1.1 सामुदायिक जागरूकता संबंधी गतिविधियां	18

6.1.2 समुदाय आधारित संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण	18
6.1.3 आजीविका एवं कौशल विकास गतिविधियां	19
6.1.4 स्वच्छता संबंधी गतिविधियां	20
6.1.5 वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत	21
6.1.6 जैवविविधता संबंधी गतिविधियां	21
6.1.7 कृषि विकास संबंधी गतिविधियां	21
6.1.8 पशुपालन विकास संबंधी गतिविधियां	22
6.2 रेखीय विभागों का विवरण एवं समन्वयन	23
भाग – 7 व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण	24
7.1 सहमत कार्यक्रम का व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण	24
7.2 वित्तीय आवश्यकता एवं बजट	28
7.3 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	30
7.4 पारस्परिक संकल्प एवं उत्तरदायित्व	30
7.5 विवाद का निपटारा	31
7.6 अभिलेखों का रखरखाव	31
7.7 सफलता के सूचक	31
अनुलग्नक	
1 समझौता ज्ञापन	33
2 सामाजिक मानचित्र	34
3 सूक्ष्म नियोजन हेतु बैठक में उपस्थित समुदाय की सूची	35
4 फोटो गैलरी	37

मानचित्र

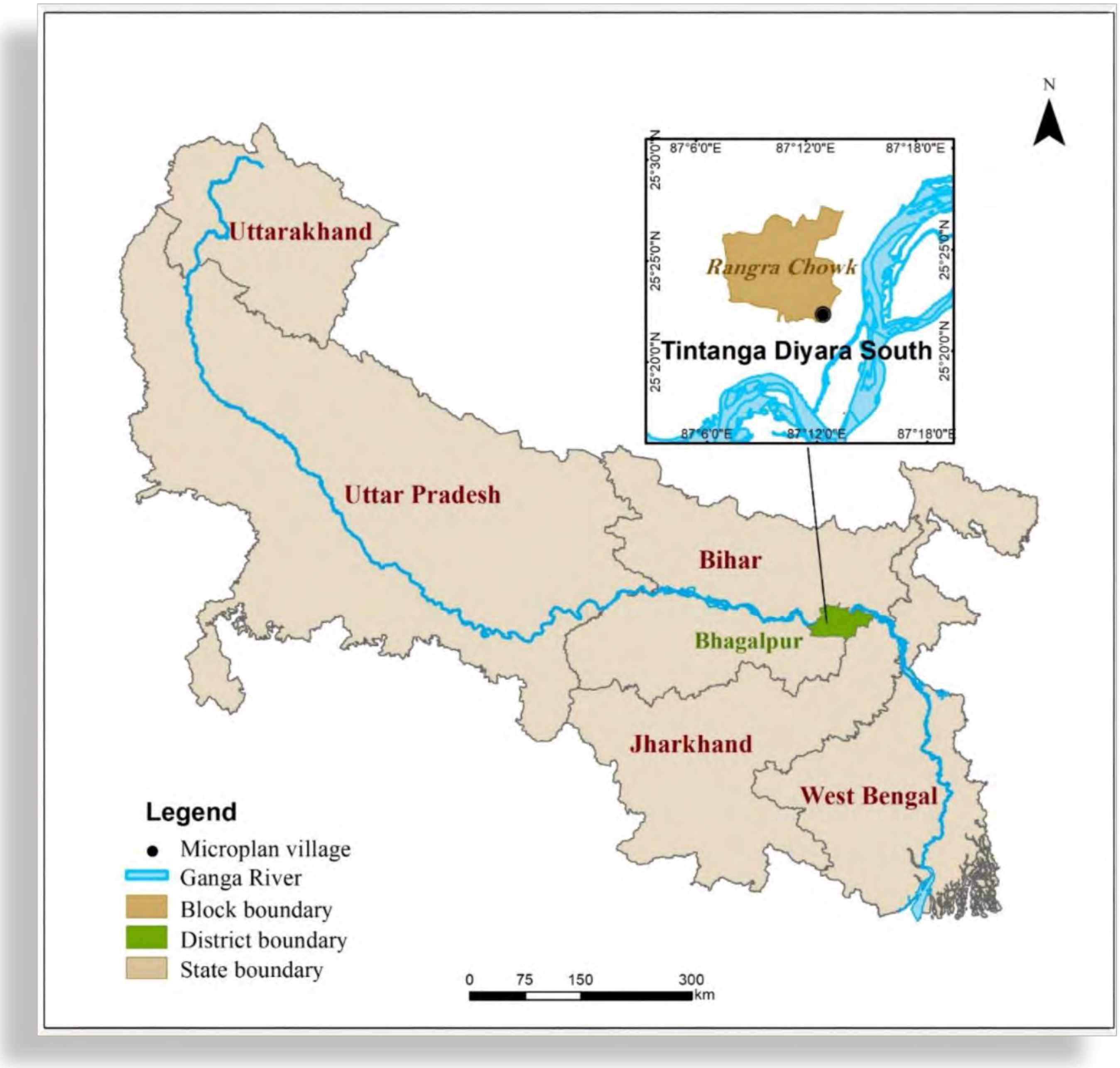

N
87°6'0"E
87°12'0"E
87°18'0"E
25°30'0"N
25°25'0"N
25°20'0"N
Rangra Chowk
Tintanga Diyara South
Uttarakhand
Uttar Pradesh
Bihar
Bhagalpur
Jharkhand
West Bengal
Legend
Microplan village
Ganga River
Block boundary
District boundary
State boundary
0 75 150 300
km

ग्राम स्तरीय सूक्ष्म जैवविविधता योजना

परिचय

भारत सरकार ने गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने और नदी को संरक्षित करने के लिये नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण परियोजना का आरंभ किया है। परियोजना के अंतर्गत प्रारंभिक स्तर पर नदी की सफाई के तहत तरल कचरे की समस्या को हल करने हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में जल व मल के निस्तारण हेतु शौचालयों का निर्माण, शवदाह गृहों का उच्चीकरण, आधुनिकीकरण एवं निर्माण, घाटों का निर्माण और मरम्मत आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जैवविविधता संरक्षण, वनीकरण व पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिये भी कार्य किया जाना है। नमामि गंगे कार्यक्रम के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का गठन किया गया है।

भारत सरकार द्वारा गंगा नदी की स्वच्छता एवं संरक्षण हेतु चलाये जा रहे नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत जलीय जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भारतीय वन्य जीव संस्थान के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि गंगा नदी की विभिन्न प्रजातियाँ जो वर्तमान में संकटग्रस्त हैं या निकट भविष्य में जिनके लुप्त होने की संभावना है, वर्ष 2020 तक इन प्रजातियों की विविधता के लिये उत्पन्न होने वाले खतरे में कमी आये। वन्य जीव संस्थान द्वारा जैवविविधता संरक्षण हेतु 6 घटकों पर कार्य किया जा रहा है। जिसमें गंगा जलीय जीव संरक्षण एवं अनुश्रवण केन्द्र की स्थापना, गंगा नदी के जलीय जीवों के पुनरूद्वार हेतु योजना का निर्माण, वन विभाग एवं अन्य हितधारकों का क्षमता विकास, जलीय प्रजातियों हेतु बचाव एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना, गंगा नदी की प्रजातियों के पुनर्वास हेतु समुदाय आधारित संरक्षण कार्यक्रम एवं गंगा नदी की जैवविविधता के संरक्षण हेतु नेचर इंटरप्रेटेशन और शिक्षा आदि कार्यक्रम प्रमुख हैं।

सूक्ष्म नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें स्थानीय समुदाय अपनी आवश्यकता के अनुसार विकास की योजना का निर्माण करता है। सूक्ष्म नियोजन में समुदाय के सभी वर्गों की भागीदारी होना इसकी प्रमुख विशेषता है। नियोजन की प्रक्रिया को विकेन्द्रित (Decentralised), सतत (Sustainable) एवं सहभागी (Participatory) बनाने का यह एक महत्वपूर्ण भाग है। जिसमें नियोजन की प्रक्रिया ऊपर से नीचे (Top to bottom) न होकर नीचे से ऊपर (Bottom to

top) की ओर होती है। इस प्रक्रिया में समुदाय के ज्ञान व अनुभवों को आधार मानकर कई सहभागी आकलन की कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी एकत्र की जाती है।

सहमति पत्र

भोला मंडल

मुखिया

ग्राम पंचायत तिनटंगा दियारा दक्षिण

प्रखण्ड–रंगरा चौक, जिला–भागलपुर

आवास :

ग्राम– झल्लूदास टोला

पो0– तिनटंगा दियारा

थाना–रंगरा चौक

जिला–भागलपुर

मो0 : 9955231151

पत्रांक...84.........

दिनांक..30..6..2019

सहमति पत्र

जैव विविधता एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामपंचायत तिनटंगा दियारा दक्षिण, प्रखंड- रंगरा चौक, जिला- भागलपुर में विभिन्न बैठको, कार्यशालाओ एवं प्रशिक्षणों के साथ- साथ अन्य गतिविधियो आयोजित की गई है। समुदाय के साथ लगातार चर्चा के बाद गंगा कि जैव विविधता संरक्षण हेतु यह ग्राम स्तरीय सूक्ष्म योजना तैयार की गई है। इस योजना पर सामुदायिक बैठक में चर्चा करने के उपरांत समुदाय द्वारा इस पर सहमति दी गई है। ग्रामपंचायत में इस योजना के क्रियांवन हेतु ग्रामपंचायत एवं ग्राम समुदाय, भारतीय वन्यजीव संस्थान एवं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के साथ भागीदारी हेतु तैयार है।

भोला मंडल
30.6.2019

मुखिया

ग्राम पंचायत-तिनटंगा दियारा द०

प्रखण्ड-रंगरा चौक, भागलपुर

भाग – 1 प्रस्तावना

ग्राम पंचायत	तिनटंगा दियारा दक्षिण
अवस्थिति	25.26608 अंक्षाश एवं 87.22777 देशान्तर
विकासखंड	रंगराचौक
जिला	भागलपुर
राज्य	बिहार
मुख्यालय भागलपुर से दूरी	29 कि0मी0
तहसील मुख्यालय रंगराचौक से दूरी	12 कि0मी0
गंगा नदी से दूरी	0.5 कि0मी0
कुल जनसंख्या	20798
कुल परिवार	3858
मुख्य जातियां	मण्डल, जाधव, सुनार, चौधरी, गुप्ता, बीन्द, कुशवाह, पासवान, केवट, रजक, तेली, गंगोता, धोबी, हरिजन, मुस्लिम आदि

मुख्य समस्याएँ	• जागरूकता की कमी • कृषि में रासायनिक खादों का प्रयोग • धार्मिक व पूजा सामग्री को नदी में प्रवाहित करना • कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था न होना • आजीविका हेतु गंगा नदी पर निर्भरता • स्थानीय संस्थाओं का सुदृढ़ न होना
प्रस्तावित कार्यक्रम	• समुदायिक जागरूकता संबंधी गतिविधियां • समुदाय आधारित संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण • आजीविका व कौशल विकास गतिविधियां • स्वच्छता संबंधी संबंधी गतिविधियां • वैकल्पिक उर्जा स्रोत • जैवविविधता संरक्षण संबंधी गतिविधियां • कृषि विकास संबंधी गतिविधियां • पशुपालन संबंधी गतिविधियां

भाग – 2 ग्राम पंचायत का विवरण

2.1 ग्राम पंचायत का संक्षिप्त विवरण

ग्राम पंचायत तिनटंगा दियारा दक्षिण, बिहार राज्य में भागलपुर जिले के रंगराचौक विकासखण्ड में स्थित है। यह राज्य की राजधानी पटना से 242 कि0मी0 तथा जिला मुख्यालय भागलपुर से 29 कि0मी0 दूर स्थित है। तिनटंगा दियारा दक्षिण में मैथिली, हिन्दी तथा उर्दु भाषा बोली जाती है। तिनटंगा दियारा पंचायत से गंगा नदी 0.5 कि0मी0 की दूरी पर बहती है।

गंगा के चारों तरफ यहाँ के लोगों द्वारा खेती बाड़ी, मत्स्य एवं पशुपालन का कार्य किया जाता है किन्तु बाढ़ के कारण गंगा के कटाव से भौगोलिक स्थिति चरमरा गई है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो यहाँ पर हर वर्ष माघी पूर्णिमा के दिन एक महायज्ञ होता है। यहाँ पर रबी फसल की उपज होती है। अंग प्रदेश का भाग होने के कारण यहाँ पर अंगीका भाषा भी बोली जाती है। ग्राम पंचायत का कुल क्षेत्रफल 4046 हेक्टेयर है। गाँव 25.26608 अक्षांश तथा 87.22777 देशान्तर पर बसा है। गाँव में संयुक्त एवं एकल परिवार रहते हैं।

2.2 ग्राम पंचायत चयन के मानक

तिनटंगा दियारा दक्षिण ग्राम पंचायत गंगा के तट पर स्थित है, गाँव में सभी तरह की जाति के लोग निवास करते हैं, जिसमें जाधव, सुनार, चौधरी, गुप्ता, बीन्द, कुशवाह, केवट, पासवान, शाह, गंगोता, धोबी, हरिजन, रजक, तेली, नाई, तथा मुस्लिम प्रमुख हैं, प्रत्येक व्यक्ति की गंगा पर निर्भरता है। समुदाय की आजीविका खेती व मजदूरी पर निर्भर है। ग्राम पंचायत के आसपास गंगा नदी में जैवविविधता काफी संख्या में पायी जाती है। जिसमें गांगेय डॉल्फिन, कछुये, विभिन्न प्रजाति की मछलियाँ, प्रवासी पक्षी आदि शामिल हैं। लोगों की गंगा पर निर्भरता होने व जागरूकता की कमी का सीधा प्रभाव गंगा की जैवविविधता पर पड़ रहा है। गंगा के तट पर स्थित होने के कारण व यहाँ पर जलीय जैवविविधता की उपस्थिति के कारण ग्राम पंचायत को कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है।

2.3 ग्राम पंचायत चयन की प्रक्रिया

जनपद भागलपुर में नमामि गंगे के अन्तर्गत चिन्हित गाँवों के संबंध में जानकारी लेने के पष्चात इस क्षेत्र में जैवविविधता संरक्षण का कार्य कर रही संस्था "मंदार नेचर क्लब" के सदस्यों के साथ मिलकर गाँवों का भ्रमण किया गया। ग्रामवासियों को परियोजना की जानकारी दी गयी व उद्देश्यों को बताया गया।

2.4 सामाजिक एवं जनसंख्यात्मक विवरण

गंगा नदी का स्थानीय समुदाय के लिए विशेष महत्व रहा है, हिन्दू धर्म के अनुसार होने वाले सारे धार्मिक क्रियाकलाप, मेले, त्यौहार गंगा नदी के किनारे ही आयोजित किये जाते हैं। गंगा नदी समुदाय को आजीविका के अवसर प्रदान भी करती है। ग्राम पंचायत तिनटंगा दियारा दक्षिण में कुल 3858 परिवार रहते हैं, ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या 20798 है, जिसमें पुरूष 10953 और महिलाएँ 9845 हैं। यह ग्राम पंचायत 4046 हैक्टेयर क्षेत्र में स्थापित है। ग्राम पंचायत में सभी समुदाय (हिन्दू, मुस्लिम) तथा जातियों (अनुसूचित जाति, सामान्य, अन्य पिछड़ावर्ग) के लोग निवास करते हैं। यहाँ पर कृषि मुख्य व्यवसाय है।

गाँव में मकर संक्रान्ति मेला, माघ मेला, अन्य धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। ग्राम पंचायत में पारम्परिक मेलों तथा त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाता है, विशेषकर ग्राम पंचायत में माघी मेला बहुत धूमधाम से मनाया जाता है।

2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर साक्षरता दर 32.64 प्रतिशत है। ग्राम पंचायत में दो राजकीय प्राथमिक, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं चार माध्यमिक विद्यालय हैं, जिसमें शिक्षा साक्षरता के लिए समय–समय पर जागरुकता का कार्य किया जाता है। अभी भी ग्राम पंचायत में महिलाओं की साक्षरता दर का प्रतिशत बहुत कम है, जिस हेतु सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा स्कूल में नामांकन हेतु अभियान चलाये जाते हैं।

2.5 आर्थिक स्थिति एवं व्यवसाय

तिनटंगा दियारा दक्षिण ग्राम पंचायत में कुल 3858 परिवारों में से केवल 2314 परिवारों के पास कृषि भूमि है। 2200 परिवार प्राथमिक रुप से कृषि पर आश्रित है, जिसमें मौसमी खेती की जाती है। 3086 परिवार पशुपालन भी करते हैं, 192 परिवार सरकारी तथा प्राइवेट नौकरी में हैं। 771 मल्लाह परिवार गंगा के किनारे सब्जी यानि पालिज खेती, 25 परिवार नौकायन एवं मछली पकड़कर जीवनयापन करते हैं, 1543 परिवार द्वारा कृषि मजदूरी, मनरेगा, ऑटो चालन तथा अन्य मजदूरी कार्य किया जाता है। ग्राम पंचायत में 1400 परिवार गरीबी रेखा से नीचे निवास करते हैं। इन 1400 परिवारों की वार्षिक आय एक लाख से कम है। ग्राम पंचायत में आय का द्वितीयक स्रोत पशुपालन एवं मछली का शिकार तथा नदी किनारे की खेती (Riverbed farming) है।

2.6 ग्राम पंचायत में पेयजल एवं स्वच्छता की स्थिति

ग्राम पंचायत में सरकारी पेयजल की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर पेयजल हेतु 1900 हैडपंप हैं, जो लोगों द्वारा व्यक्तिगत रूप से लगाये गये हैं, जिनसे सम्पूर्ण ग्राम पंचायत की पेयजल व्यवस्था संचालित होती है। यहाँ पर 2668 शौचालय निर्मित हैं, जिसमें 2001 शौचालय स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने हैं तथा 667 शौचालय समुदाय द्वारा स्वयं बनाये गये हैं। 1190 परिवारों द्वारा अभी शौचालय नहीं बनाये गये हैं। गाँव में बने कुल शौचालयों में से 90 प्रतिशत परिवारों द्वारा शौचालय का उपयोग किया जाता है, अन्य लोग गंगा नदी के किनारे तथा अपने खेतों में शौच के लिये जाते है। शौचालय उपयोग न करने का प्रमुख कारण पानी की उपलब्धता न होना तथा जागरूकता की कमी होना है।

कूड़ा निस्तारण सभी परिवारों के द्वारा स्वंय के स्तर पर किया जाता है गाँव में सार्वजनिक या पंचायत का कूड़ा डम्पिंग क्षेत्र नहीं है, कूड़े को अपने घर के आसपास, खेतों में तथा नदी के किनारे डाला जाता है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत यहाँ पर कूड़ा निपटान हेतु कार्य किया जाना प्रस्तावित था, परंतु ग्राम पंचायत के पास जमीन उपलब्ध न होने के कारण उस पर कार्य नहीं हो पाया है।

2.7 कृषि एवं पशुपालन

ग्राम पंचायत तिनटंगा दियारा दक्षिण में समुदाय का मुख्य व्यवसाय कृषि है, यहाँ पर 600 हैक्टेयर कृषि क्षेत्र है तथा 200 हैक्टेयर जमीन असिंचित है, जिससे 400 हेक्टेयर जमीन सिंचित की जाती है। पंचायत के कुल 3858 परिवारों में से 2314 परिवारों के पास ही कृषि भूमि है जिसमें प्राथमिक रुप से कृषि की जाती है, यहाँ पर 1929 परिवार कृषि श्रमिक है, तथा 771 परिवारों के द्वारा गंगा नदी के किनारे मौसमी खेती की जाती है। कृषि भूमि पर अधिक उपज प्राप्त करने के लिए रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। तिनटंगा दियारा दक्षिण ग्राम पंचायत में 3086 परिवारों के पास कुल 16518 पशु हैं, जिनमें से 6172 गाय, 7446 भैंसें तथा 2900 बकरियाँ हैं। 190 परिवारों के द्वारा बकरियों का व्यवसाय किया जाता है। पशुओं का चारा खेतों एवं गंगा किनारे से लाया जाता है। गंगा किनारे मोथा, कर्मी, जूर, कषि, दूब, कुश, कांस आदि घासें पाई जाती हैं।

2.8 वर्षा व अन्य जल संसाधनों का विवरण

ग्राम पंचायत तिनटंगा दियारा दक्षिण में पेयजल आपूर्ति 1900 हैण्डपम्पों के द्वारा की जाती है, पंचायत में 400 पम्पसेट से गेहूँ की खेती सिंचित की जाती हैं। क्षेत्र का औसत वार्षिक तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस एवं औसत वार्षिक वर्षा 1111 मिमी0 है।

2.9 ग्राम पंचायत तक पहुँच एवं संचार के साधनों की उपलब्धता एवं स्थिति

पंचायत में पहुँच हेतु निजी वाहन एवं सार्वजनिक परिवहन (ऑटो आदि) से होता है तथा 11 कि0मी0 की दूरी पर सरकारी एवं प्राइवेट बस स्टेशन हैं। गाँव में सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत किया गया है। रेलवे यातायात हेतु 11 कि0मी0 पर कटारिया स्टेशन है। प्राथमिक चिकित्सालय गांव से 2.50 कि0मी0 पर स्थित है। गाँव में बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्राहक सेवा केन्द्र स्थित है। रेडियो, टेलीफोन सेवा मे वोडाफोन,रिलाइन्स, जियो आदि का नेटवर्क है।

2.10 ग्राम पंचायत व उसके आसपास वन संसाधन व जैवविविधता का विवरण

ग्राम पंचायत के आस पास बरगद, नीम, कटहल, आम, इमली, सुपारी, करैज, कचनार, महुआ, पीपल, सहजन, बेर, पपीता, ताड़, गुलमोहर, जामुन, महोगनी, अर्जुन, बबूल, आदि वन सम्पदा बहुतायत में पायी जाती है। समुदाय द्वारा वन विभाग के साथ मिलकर वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है। गंगा नदी के किनारे जूर, दूब, मोथा, कर्मी आदि घास पाई जाती हैं। गंगा नदी में जैवविविधता भी प्रचुर मात्रा में है, जिनमें घड़ियाल, मगरमच्छ, गांगेय डॉल्फिन, कछुये, ऊदबिलाव एवं विभिन्न प्रकार की प्रजाति की मछलियाँ, प्रवासी पक्षी आदि पाये जाते हैं। आजीविका हेतु गंगा पर निर्भरता के कारण गंगा नदी की जैवविविधता को खतरा बना हुआ है। गंगा के तटों पर कृषि होने के कारण व चारे हेतु गंगा के किनारों की वनस्पति (घास) का उपयोग किये जाने के कारण जलीय जीवों के आवास खत्म हो रहे हैं।

2.11 समुदाय की गंगा नदी पर निर्भरता

गंगा नदी के तट पर स्थित होने के कारण समुदाय की गंगा नदी पर अत्यधिक निर्भरता है। समुदाय प्रत्यक्ष रूप से धार्मिक कार्यक्रम, नौकायन, कृषि, पालीज खेती, मछली का षिकार आदि हैं। पंचायत में 25 परिवार नौकायन तथा मछली का षिकार कर अपनी आजीविका कमाते हैं। ग्राम पंचायत में बहुसंख्य परिवार आजीविका हेतु कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर हैं। कृषि के लिये जल व पशुओं के चारे हेतु समुदाय की गंगा पर निर्भरता है। गंगा नदी के तट पर स्थित 200 हेक्टेयर कछार भूमि पर ग्राम पंचायत के 771 परिवारों के द्वारा पालिज खेती की जाती है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से मसूर, परवल, भिण्डी, टमाटर, बैंगन, तोरी, लौकी, करेला, परोल, खीरा, आलू, ककड़ी, प्याज आदि की खेती की जाती है। गाँव के पास बहने

वाली गंगा की मुख्यधारा से बरसात के मौसम में लगातार कटाव हो रहा है, जिसके कारण कृषि भूमि एवं आबादी को नुकसान हो रहा है।

2.12 ग्राम पंचायत में चल रहे/पूर्व में संचालित जैवविविधता कार्यक्रम की जानकारी

तिनटंगा दियारा दक्षिण ग्राम पंचायत में पायी जाने वाली जैवविविधता में गंगा के किनारे विभिन्न प्रजाति के पेड़ बरगद, नीम, कटहल, आम, इमली, सुपारी, करैज, कचनार, महुआ, पीपल, सहजन, बेर, पपीता, ताड़, गुलमोहर, जामुन, महोगनी, अर्जुन, बबूल, तथा गंगा नदी में जलीय जीव डॉल्फिन, कछुआ, ऊदबिलाव, विभिन्न प्रजाति की मछलियाँ एवं पक्षी पाये जाते हैं। जैवविविधता संरक्षण हेतु अभी कोई भी योजना संचालित नही है। ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा कार्यक्रम के तहत तथा वन विभाग द्वारा समय–समय वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है। गंगा प्रहरी के द्वारा भी जनसमुदाय के साथ मिलकर वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है।

2.13 ग्राम पंचायत में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं/विभागों/ कार्यक्रमों का विवरण

क्रम सं0	कार्यक्रम का नाम	गठित संस्था का नाम	कार्यक्रम का विवरण	सदस्यों की संख्या	टिप्पणी
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	स्वयं सहायता समूह	प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार	1125	5 ग्राम संगठन (50 स्वयं सहायता समूह)
2.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	आशा	महिला एवं बाल स्वास्थ्य	11 कार्यकर्ता	
3.	समेकित बाल विकास योजना	आंगनबाड़ी	10 आंगनबाड़ी केन्द्र	10 कार्यकर्ता	400 बच्चे
4.	दुर्गा नाटयकला परिषद	नाटयकला समिति	संस्कृति विकास		50 युवा

उपरोक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत में उज्जवला योजना, स्वच्छ भारत मिशन आदि कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। जिसमें कुल 579 परिवारों को उज्जवला योजना के तहत गैस सिलेण्डर का लाभ मिला है।

भाग – 3 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक (Stakeholders)

जैवविविधता एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हितधारकों की पहचान करने हेतु समुदाय के विभिन्न वर्गों के साथ बैठकें की गई। ग्रामीण समुदाय से कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में चर्चा की गई व गंगा की स्वच्छता एवं जैवविविधता के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। चर्चा के दौरान कार्यक्रम से प्रभावित होने वाले निम्न वर्गों को हितधारक के रूप में चिन्हित किया गया–

1– मल्लाह समुदाय

2– धार्मिक समूह

3– व्यापारीगण

4– विद्यार्थी समुदाय

5– कृषक

6– महिलायें एवं युवतियाँ

7– समुदाय आधारित संस्थायें – स्वंय सहायता समूह, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता,

8– विभिन्न विभाग एवं कार्यक्रम के अधिकारी एवं कर्मचारी जैसे – स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, खंड विकास अधिकारी, वन विभाग आदि।

9– केन्द्रीय मंत्रालय – जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अन्य मंत्रालय आदि।

गंगा नदी की जैवविविधता संरक्षण एवं इसकी स्वच्छता के संबंध में विभिन्न हितधारकों (संगठनों, संस्थाओं एवं सामाजिक संगठनों) के प्रभाव शक्ति और रूचि को पहचानने, सूचीबद्व करने और उसका विश्लेषण करने के लिये हितधारक मानचित्रण किया गया है। गंगा नदी के संरक्षण एवं स्वच्छता में हितधारकों के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों, अंतर्सम्बंधों, गठबंधनों और संघर्षों को पहचानने के लिये यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। हितधारक मानचित्र गंगा की जैवविविधता के संरक्षण में विभिन्न हितधारकों की शक्ति, रूचि एवं प्रभाव को दर्शा रहा है। गंगा नदी पर हितधारकों के प्रभाव एवं उनकी भूमिका के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक हितधारकों को विभिन्न रंगों से दर्शाया गया है। ये मानचित्र विभिन्न हितधारकों के बीच अंतर्निर्भरता को समझने एवं गंगा नदी के संरक्षण की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये संभावित गठबंधन बनाने में सहायक होगा।

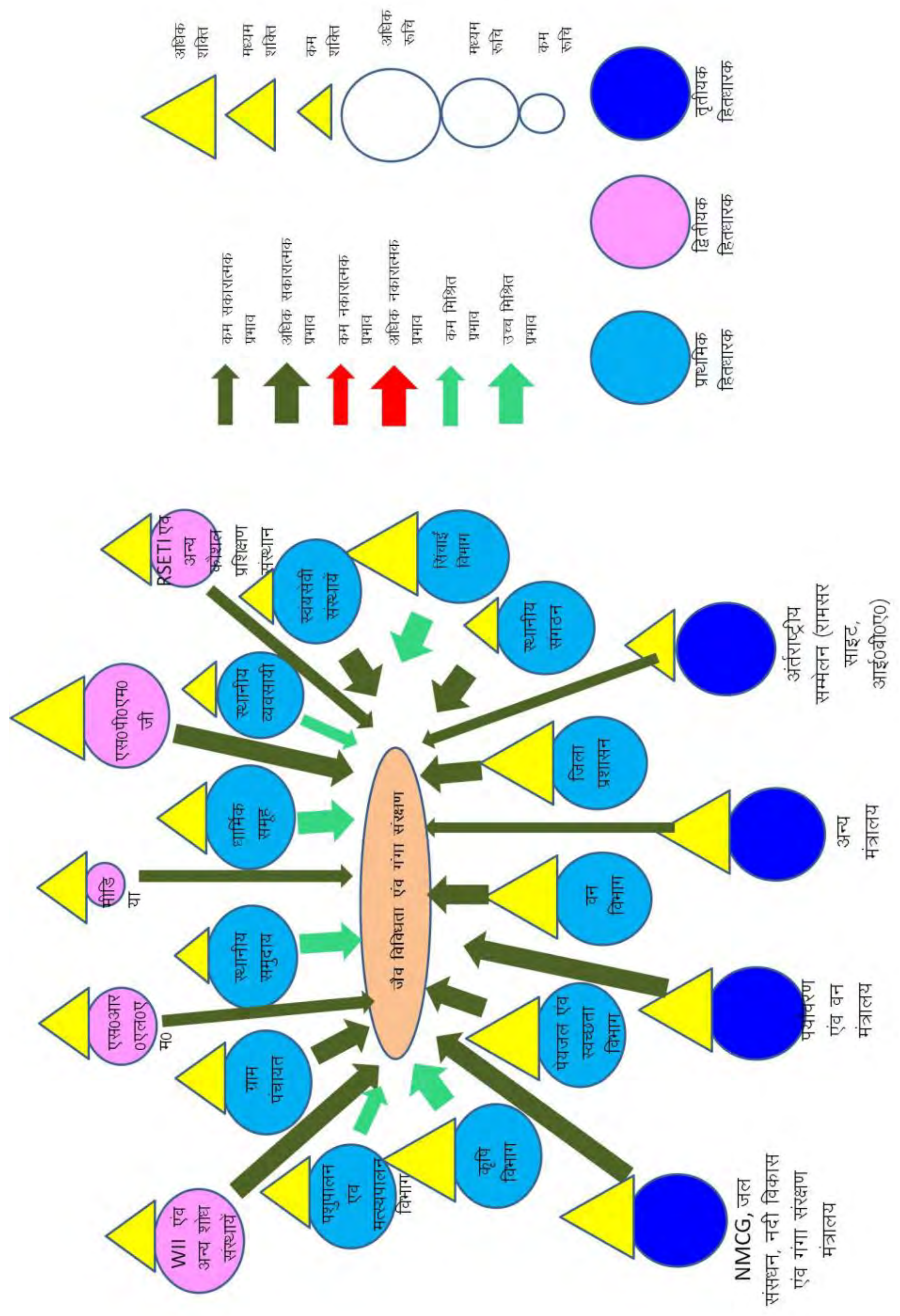

चित्र –1 हितधारक मानचित्रण

भाग – 4 समस्या विश्लेषण

ग्राम पंचायत तिनटंगा दियारा दक्षिण के निवासियों की आजीविका हेतु निर्भरता कृषि कार्यों पर है। यहाँ पर 600 हैक्टेयर कृषि क्षेत्र है, जिसमें से 400 हेक्टेयर भूमि सिंचित तथा 200 हेक्टेयर भूमि असिंचित है। पंचायत के कुल 3858 परिवारों में से 2314 परिवारों के पास ही कृषि भूमि है जिसमें प्राथमिक रुप से कृषि की जाती है, आजीविका का प्रमुख स्रोत होने के कारण समुदाय कृषि उत्पादकता पर निर्भर है जिसके लिये खेतों में रासायनिक खादों व कीटनाशक दवाईयों का प्रयोग किया जाता है। वर्षा होने पर खेती में प्रयुक्त ये रसायन बहकर गंगा के पानी में मिल जाते हैं एवं उसे प्रदूषित करने के साथ ही जैवविविधता को हानि पहुँचाते हैं। हालांकि गंगा की जैवविविधता के ह्रास के बारे में जानने के बाद समुदाय द्वारा जैविक कृषि को अपनाने पर सहमति दी गयी। गंगा पर अपनी धार्मिक श्रद्धा के कारण यहाँ पर स्नान करने के साथ ही पूजा सामग्री, तस्वीरें, कैलेण्डर, मूर्तियाँ, धूपबत्ती, पॉलीथीन आदि गंगा में प्रवाहित कर देते हैं जिससे गंगा के पारिस्थितिकीय तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ग्राम पंचायत में कूड़ा एकत्रीकरण, प्रबन्धन एवं निस्तारण की कोई व्यवस्था न होने के कारण कूड़ा ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर बिखरा रहता है जो हवा व वर्षा के साथ गंगा के पानी में मिल जाता है।

तिनटंगा दियारा दक्षिण ग्राम पंचायत में लगभग 3086 परिवार पशुपालन करते हैं। गंगा के किनारे पर खेती होने के साथ ही गंगा के किनारे की वनस्पति पर पशुओं के चारे हेतु निर्भरता के कारण यहाँ पर गंगा के जलीय जीवों के आवास को क्षति हो रही है।

आजीविका हेतु अन्य साधनों एवं कौशल की जानकारी व उपलब्धता नहीं के कारण समुदाय को नये क्षेत्रों रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं जिससे गंगा से संबंधित क्षेत्रों पर ही निर्भरता बनी हुई है।

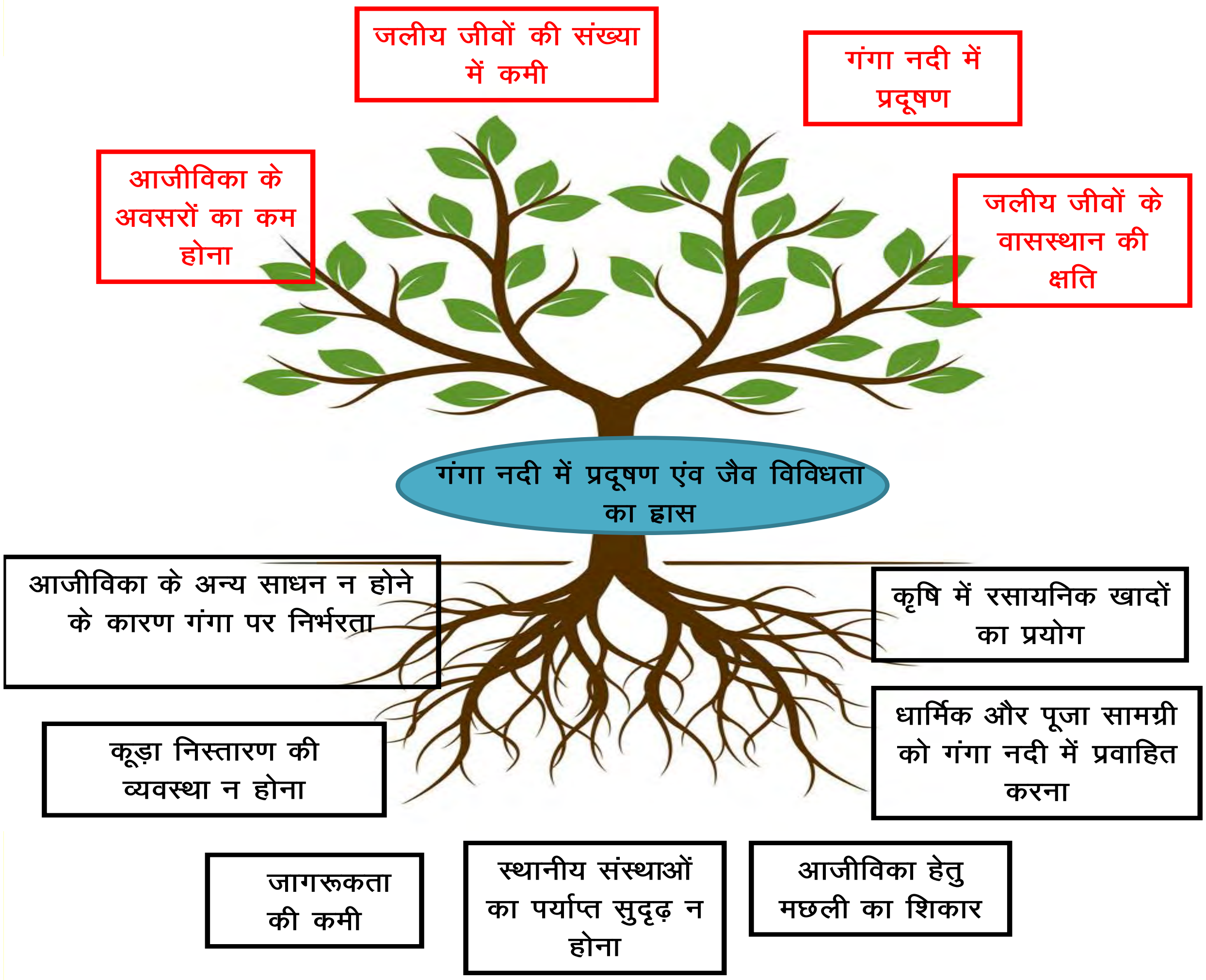

चित्र – 2 समस्या वृक्ष

भाग – 5 नियोजन का उद्देश्य

नियोजन का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी की जैवविविधता के संरक्षण एवं स्वच्छता हेतु समुदाय को जागरूक करना एवं संरक्षण कार्यों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है जिससे संरक्षण कार्यों की सततता बनी रहे।

दीर्घकालीन उद्देश्य

1. गंगा नदी की अविरलता एवं निर्मलता को बनाये रखने के लिये जलीय जीवों का संरक्षण करना।

अल्पकालीन उद्देश्य

1. ग्राम में चल रही विकास की समस्त योजनाओं एवं कार्यक्रम में जैवविविधता संरक्षण को शामिल करना।
2. गंगा की जैवविविधता के संरक्षण हेतु समुदाय को जागरूक एवं संवेदनशील बनाना ताकि वे जैवविविधता संरक्षण के कार्य में भागीदारी कर सकें।

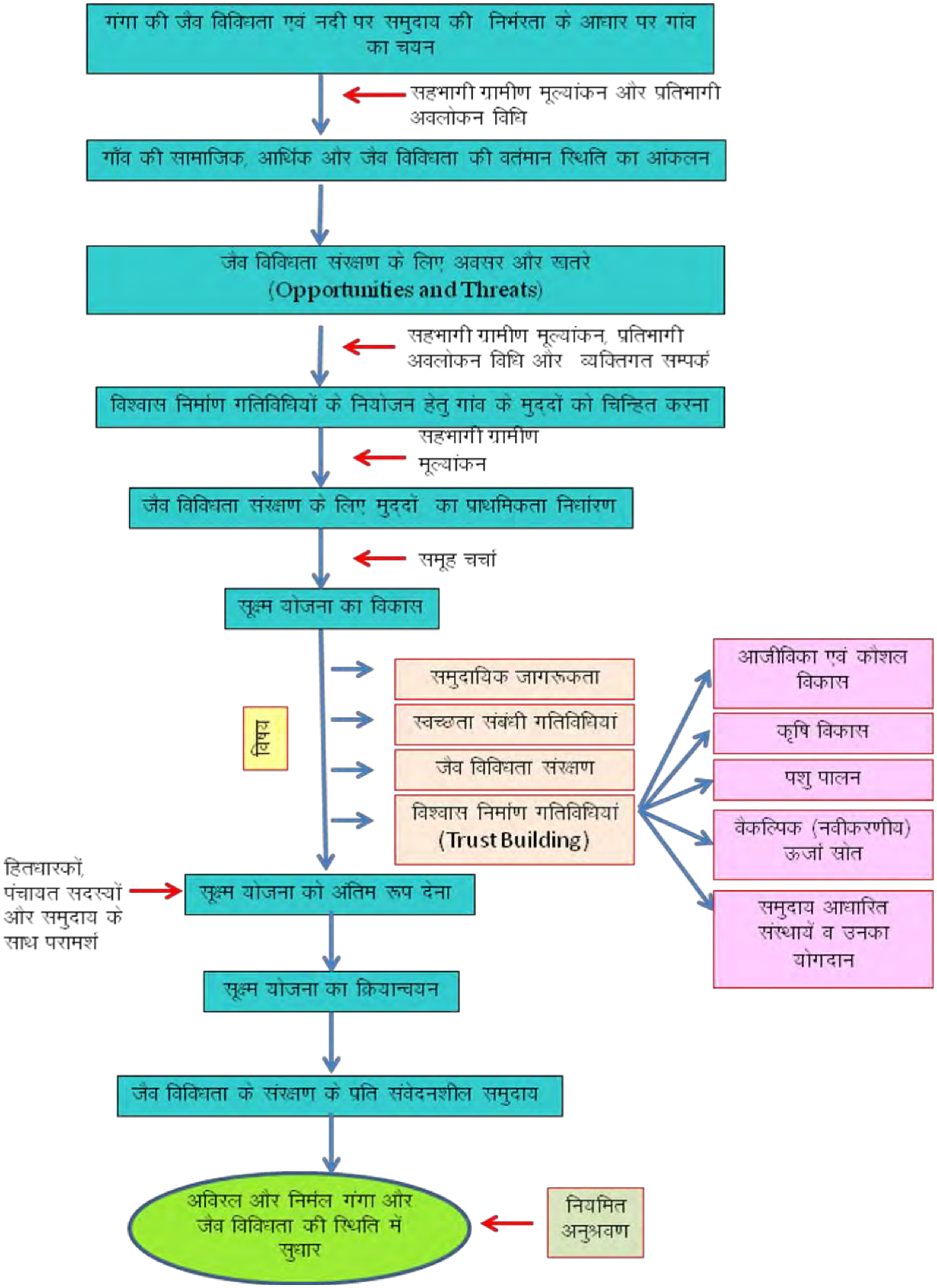

चित्र – 3 नियोजन की प्रक्रिया

भाग – 6 प्रस्तावित गतिविधियाँ तथा रणनीति

6.1.1 सामुदायिक जागरूकता संबंधी गतिविधियां

सामुदायिक सहभागिता से कार्य करने एवं किये गये कार्यों की सततता बनाये रखने हेतु आवश्यक है कि स्थानीय समुदाय किये जा रहे कार्य के महत्व व उसके लाभ के बारे में भलीभांति परिचित हो।

समुदाय की गंगा की स्वच्छता एवं जैवविविधता के संरक्षण के संबंध में समझ विकसित करने के बाद ही इस कार्य में उनकी भूमिका को सुनिश्चित किया जा सकता है। जिससे कि वे स्वयं उस कार्य को करने के लिये तैयार हो सकें। समुदाय में बैठकों और चर्चा के बाद गंगा नदी व उसके आसपास की जैवविविधता व उसके महत्व, स्वच्छता संबंधी कार्यक्रम, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, जैविक कृषि एवं पशुपालन संबंधी जागरूकता कार्यक्रम करने पर सहमति बनी। जिसके लिये निम्न कार्यक्रम किये जायेंगें।

1. जैवविविधता संरक्षण के विभिन्न पक्षों पर समुदाय व विद्यालयों में बच्चों और अध्यापकों के साथ कार्यशाला एवं प्रशिक्षण।
2. समुदाय एवं विद्यार्थियों के सहयोग से रैली, अभियान, नुक्कड़ नाटक, दीवार लेखन आदि कार्य करना।
3. ग्राम स्तर पर जागरूक एवं सक्रिय व्यक्तियों का समूह तैयार कर उन्हें जैवविविधता संबंधित जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने हेतु प्रशिक्षित करना।
4. विभिन्न विभागों से संबंधित ग्रामीण विकास, स्वच्छता, वृक्षारोपण, कौशल विकास, उन्नत एवं जैविक कृषि, पशुपालन, वैकल्पिक ऊर्जा संबंधी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।
5. गंगा प्रहरी व बाल गंगा प्रहरी कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता संबंधी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर कार्यक्रम को सुदृढ़ करना।
6. जनसमुदाय के साथ अधिक से अधिक से वृक्षारोपण का कार्य करना।

6.1.2 समुदाय आधारित संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण

समुदाय में उपस्थित सक्रिय संस्थायें किसी भी कार्यक्रम के क्रियान्वयन को सफल बनाने के साथ ही उसकी सततता को भी सुनिश्चित करती हैं। तिनटंगा दियारा दक्षिण ग्राम पंचायत में 5 ग्राम संगठन गठित हैं। जिसमें 50 स्वयं सहायता समूह शामिल हैं । कार्यक्रम के अंतर्गत उक्त समूहों के साथ बैठकें कर समूह के सदस्यों को जैवविविधता संरक्षण एवं गंगा की स्वच्छता पर जागरुक करने का प्रयास किया जायेगा। आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं को जैवविविधता संरक्षण के प्रति जागरूक कर उन्हें अन्य लोगों

को भी इस संबंध में जानकारी देने हेतु प्रेरित किया जायेगा। सक्रिय युवाओं को गंगा प्रहरी कार्यक्रम से संबद्ध किया जायेगा। बैठकों के दौरान आजीविका एवं कौशल विकास से संबंधित कार्यक्रम किये जाने की मांग समुदाय द्वारा की गई है कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित महिला एवं युवकों के समूह बनाकर उन्हें जैवविविधता संरक्षण के प्रति जागरूक किया जायेगा ताकि ये समूह के माध्यम से अपनी आजीविका को सुदृढ़ करने के साथ ही कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सहयोग कर सकें। ये समूह जैवविविधता संबंधी कार्यक्रम पर जागरूकता हेतु एक मंच का कार्य करेंगें। जिसके लिये समुदाय में निम्न कार्यक्रम की जानी हैं –

1. समुदाय आधारित संस्थाओं के महत्व पर चर्चा हेतु बैठकों का आयोजन करना।
2. समूह के सदस्यों को, समुदाय के अन्य लोगों को जैवविविधता संबंधी कार्यों में प्रतिभाग करने हेतु प्रेरित करने हेतु प्रशिक्षित करना।
3. समूह के उद्‌देश्यों एवं कार्यों में जैवविविधता संरक्षण को शामिल करना।
4. दुर्गा नाटय कला परिषद के सहयोग से जैवविविधता संरक्षण हेतु नुक्कड़ नाटक एवं जागरुकता संबंधी कार्यक्रम आयोजित करना।

6.1.3 आजीविका एवं कौशल विकास गतिविधियां

तिनटंगा दियारा दक्षिण में समुदाय की आजीविका हेतु गंगा पर प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुप से निर्भरता है। समुदाय नौकायन, घाट पर धार्मिक एवं व्यवसायिक कार्यों, गंगा किनारे कृषि (पालिज) एवं अन्य कृषि कार्यों के साथ ही पशुओं के चारे हेतु गंगा पर निर्भर हैं। गंगा के कछार में खेती करने वाले लोगों के द्वारा रासायनिक खादों का प्रयोग करने से जलीय जीवों पड़ने वाले खतरों के संबंध में अवगत कराते हुये विकल्पों सम्बन्ध में जागरूक किया जायेगा, जिससे उनकी आजीविका पर भी प्रभाव न पड़े और जलीय जीवन भी बचा रहे। जैवविविधता संरक्षण हेतु लोगों को सतत आजीविका के संबंध में जागरूक करने के साथ ही उन्हें वैकल्पिक आजीविका कौशल में प्रशिक्षित किया जायेगा।

आजीविका एवं कौशल विकास हेतु समुदाय में निम्न कार्यक्रम की जायेंगी –

1. बैठकों एवं कार्यशालाओं के माध्यम से ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।
2. समुदाय में गठित विभिन्न समूहों को ग्राम में चलाई जा रही विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षणों में प्रतिभाग करने हेतु प्रेरित करना।
3. स्थानीय समुदाय हेतु प्रस्तावित विभिन्न प्रशिक्षणों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु विकास खंड व जिला स्तर के अधिकारियों से संपर्क करना।

4. सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं से समुदाय को जोड़ने का प्रयास करना।
5. प्रशिक्षित लाभार्थियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं (सब्सिडी/लोन) से जोड़ना।
6. अधिक से अधिक महिलाओं को आजीविका एवं कौशल विकास कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा।
7. स्थानीय स्तर पर तैयार उत्पादों हेतु बाजार विकसित करने का प्रयास किया जायेगा।

6.1.4 स्वच्छता संबंधी गतिविधियां

ग्राम पंचायत तिनटंगा दियारा दक्षिण में कूड़ा निपटान हेतु कोई व्यवस्था नही है जिससे गाँव में कूड़ा इधर उधर फैला रहता, ग्राम पंचायत व कच्चे घाट की स्वच्छता को बनाये रखना एक कठिन कार्य है। हालांकि स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम में शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है परंतु घाट एवं गंगा तट पर सार्वजनिक शौचालयों एवं कूड़ा निपटान की व्यवस्था न होने के कारण समस्या बनी हुई है। माघी मेला के दौरान गंगा तट पर अधिक मात्रा में प्लास्टिक तथा कूड़ा जमा हो जाता है जो कि गंगा में ही प्रवाहित कर दिया जाता है। पंचायत द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम स्तर पर गंगा प्रहरी के माध्यम से स्वच्छता संबंधी कार्यक्रम का संचालन किया जायेगा।

1. बैठकों, अभियान व दीवार लेखन आदि के माध्यम से स्वच्छता, शौचालयों के निर्माण एवं प्रयोग हेतु जागरूक करना।
2. जैविक एवं अजैविक कूड़े एवं उसके निपटान के बारे में समुदाय को जागरूक करना।
3. जिला स्तर पर विभिन्न विभागों से संपर्क कर शौचालय निर्माण, ग्राम पंचायत व घाटों पर स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाओं को स्थापित किया जायेगा।
4. कूड़ादान के उचित उपयोग हेतु समुदाय को जागरूक करना एवं समय समय पर विशेषकर त्योहारों एवं मेलों के बाद स्वच्छता अभियान संचालित करना।
5. ग्राम पंचायत को पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत कूड़ा निस्तारण की जगह (Dumping ground) चिन्हित करने हेतु तैयार करना।
6. गंगा की स्वच्छता के लिये मासिक बैठक कर ग्राम पंचायतवासियों व गंगा प्रहरियों के सहयोग से गंगा के तट व घाटों की सफाई की जायेगी।

6.1.5 वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत

ग्राम पंचायत तिनटंगा दियारा दक्षिण में 80 प्रतिशत परिवार उपलों व लकड़ी का प्रयोग ईंधन के रूप में करते हैं जिससे गंगा के आसपास की वनस्पति पर ईंधन हेतु निर्भरता बनी हुई है। इन परिवारों को वैकल्पिक ईंधन के प्रयोग हेतु प्रेरित किया जाना है। इसके लिये जिला स्तर पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (ब्रेडा), उज्जवला योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से इन परिवारों को एल0पी0जी, सौर ऊर्जा संयत्र (सोलर कुकर) एवं बायोगैस निर्माण किये जाने हेतु प्रेरित किया जायेगा। साथ ही उपरोक्त के प्रयोग हेतु समुदाय को प्रशिक्षित किया जायेगा।

6.1.6 जैवविविधता संरक्षण संबंधी गतिविधियां

जैवविविधिता के संबंध में जागरूकता एवं इसके संरक्षण हेतु कार्य करने के लिये जनसमुदाय में से गंगा प्रहरियों का चयन किया गया है। जो नदी तथा ग्राम पंचायत की स्वच्छता के लिये प्रतिबद्ध है। उन्हें मेले, स्नान, पर्व आदि के समय लोगों द्वारा गंगा घाटों में गन्दगी फैलाने वाले लोगों की निगरानी करने की जिम्मेदारी दी जायेगी। ये गंगा प्रहरी तिनटंगा दियारा दक्षिण एवं आसपास उपस्थित गंगा के जलीय जीवों के बारे में जनसमुदाय को जागरूक करेंगें साथ ही बीमार, घायल, संकटग्रस्त जलीय जीवों की जानकारी संबंधित कार्यकर्ताओं/वन विभाग को देंगें जिससे कि उनका बचाव व पुनर्वास किया जा सके। जिसके लिये उन्हें बचाव कार्यों में प्रशिक्षित किया जाना है। समुदाय स्तर पर निम्न कार्यक्रम की जानी है–

1. गंगा नदी की पारिस्थितिकी एवं जैवविविधता एवं उस पर संकट के बारे में समुदाय को जागरूक करना।
2. पंचायत स्तर पर जैवविविधता प्रबन्धन समिति के गठन हेतु पहल करना।
3. जैवविविधता प्रबन्धन समिति के साथ गंगा के जलीय जीवों के संरक्षण के संबंध में चर्चा एवं उसमें उनकी भूमिका सुनिश्चित करना।
4. वन विभाग के साथ निरंतर संपर्क एवं जलीय जीवों के अवैध शिकार पर निगरानी हेतु एक तंत्र तैयार करना।
5. गंगा प्रहरियों के लिये जागरूकता, सर्वेक्षण, बचाव एवं पुर्नवास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन।

6.1.7 कृषि विकास संबंधी गतिविधियां

ग्राम पंचायत की लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। जिसका एक बड़ा भाग गंगा के किनारे स्थित है। कृषि में प्रयुक्त होने वाली रासायनिक खादों एवं

कीटनाशकों के कारण गंगा नदी के जलीय जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही गंगा किनारे की जाने वाली खेती के कारण जलीय जीवों के आवास पर भी संकट है। समुदाय जैविक कृषि हेतु जैविक खाद के निर्माण एवं उपयोग हेतु तैयार है।

1. रसायनिक खादों के प्रयोग से स्वास्थ्य एवं जैवविविधता पर होने वाले दुष्प्रभावों पर जागरूकता।
2. जैविक कृषि के लाभ पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण।
3. जैविक कृषि से संबंधित योजनाओं की जानकारी हेतु कृषि विभाग के साथ सामंजस्य स्थापित करना।
4. उन्नत कृषि, कृषि वानिकी एवं खेतों में चारा घास रोपण हेतु जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही कृषि विभाग के सहयोग से किसानों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।
5. किसानों को जैविक खाद बनाने के तरीकों एवं इनके महत्व के बारे में जानकारी दी जायेगी।
6. इसी के साथ साथ नर्सरी या पौधशाला निर्माण के विषय में रेखीय विभागों के साथ समन्वय बना का ग्राम स्तर पर शिविर, बैठकों के माध्यम से जानकारी देना।
7. फूलों की खेती करने हेतु समुदाय को प्रेरित करना एवं संबंधित विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करना।

6.1.8 पशुपालन संबंधी गतिविधियां

ग्राम पंचायत तिनटंगा दियारा दक्षिण में पशुपालन को द्वितीयक व्यवसाय के रूप में किया जाता है। लगभग 3086 परिवारों के पास पशु हैं, जिनके लिये खेतों और गंगा के किनारे से चारे की व्यवस्था की जाती है। पशुओं की उन्नत नस्ल न होने की वजह से इन परिवारों को आय के अन्य स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है।

1. बंजर खेतों एवं मेंढ़ों पर चारा घास रोपण हेतु जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही कृषि विभाग के सहयोग से किसानों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।
2. विभागीय सहयोग (पशुपालन विभाग, बाएफ) से अच्छी नस्ल के दुधारू पशु, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिये चारे के उत्पादन व पौष्टिक चारे विषय में जानकारी दी जायेगी।
3. ग्राम पंचायत के नवयुवकों को पषुपालन, डेरी सम्बन्धी व्यवसाय से जीविकापार्जन करने के लिये प्रेरित किया जायेगा।
4. ग्राम स्तर पर पशुचिकित्सा विभाग के सहयोग से पशुओं के चिकित्सा शिविर आदि लगाये जायेगें, जिसमें पशुओं का टीकाकरण एवं बीमारियों का उपचार कराया जायेगा।

6.2 रेखीय विभागों का विवरण एवं समन्वयन

उपरोक्त योजनाओं एवं कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होगी। कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु चिन्हित किये गये विभागों का विवरण निम्नवत है–

क्रम सं0	गतिविधि	विभाग
1.	ग्रामीण विकास, स्वच्छता संबंधी योजनाओं की जानकारी एवं निर्माण करना।	ग्रामीण विकास विभाग, स्वच्छ भारत अभियान
2.	वृक्षारोपण एवं जैवविविधता संरक्षण	वन विभाग
3	कौषल विकास एवं आजीविका संबंधी प्रशिक्षण	राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
4.	उन्नत एवं जैविक कृषि, पशुपालन, बायो गैस, बायो कम्पोस्ट निर्माण	कृषि एवं पशुपालन विभाग, बाएफ
5.	वैकल्पिक ऊर्जा	बिहार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, उज्जवला योजना आदि

उपरोक्त विभागों से समन्वयन स्थापित कर समुदाय को विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जायेगा।

भाग – 7 व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण

7.1 सहमत गतिविधियों का व्यवहार्यता विश्लेषण

योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किये गए कार्यक्रम का सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य होना आवश्यक है तभी उसके क्रियान्वयन से समुदाय लाभान्वित हो सकेगा।

क्रम सं0	प्रस्तावित गतिविधि	व्यवहार्यता
1.	जैवविविधता संरक्षण के विभिन्न पक्षों पर समुदाय व विद्यालयों में बच्चों और अध्यापकों के साथ कार्यशाला एवं प्रशिक्षण।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
2	समुदाय एवं विद्यार्थियों के सहयोग से रैली, अभियान, नुक्कड़ नाटक, दीवार लेखन आदि कार्य करना	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
3	ग्राम स्तर पर जागरूक एवं सक्रिय व्यक्तियों का समूह तैयार कर उन्हें जैवविविधता संबंधित जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने हेतु प्रशिक्षित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
4	विभिन्न विभागों/कार्यक्रमों के सहयोग से स्थानीय समुदाय के लिये विभिन्न आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभिन्न विभागों के सहयोग की आवश्यकता होगी।
5	गंगा प्रहरी व बाल गंगा प्रहरी कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता संबंधी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर कार्यक्रम को सुदृढ़ करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
6	जनसमुदाय के साथ मिलकर अधिक से अधिक वृक्षारोपण का कार्य करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
7	समूह के सदस्यों को, समुदाय के अन्य लोगों को जैवविविधता संबंधी कार्यों में प्रतिभाग करने हेतु प्रेरित करने हेतु प्रशिक्षित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
8	समूह के उद्देश्यों एवं कार्यों में जैवविविधता संरक्षण को शामिल करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।

9	दुर्गा नाटय कला परिषद् के सहयोग से जैवविविधता संरक्षण हेतु नुक्कड़ नाटक एवं जागरुकता संबंधी कार्यक्रम आयोजित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
9	बैठकों एवं कार्यशालाओं के माध्यम से ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
10	समुदाय में गठित विभिन्न समूहों को ग्राम में चलाई जा रही विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षणों में प्रतिभाग करने हेतु प्रेरित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
11	स्थानीय समुदाय हेतु प्रस्तावित विभिन्न प्रशिक्षणों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु विकास खंड व जिला स्तर के अधिकारियों से संपर्क करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
12	सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं से समुदाय को जोड़ने का प्रयास करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
13	प्रशिक्षित लाभार्थियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं (सब्सिडी/लोन) से जोड़ना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
14	स्थानीय स्तर पर तैयार उत्पादों हेतु बाजार विकसित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। इसके लिये विभिन्न विभागों, कार्यक्रमों, संस्थानों से समन्वयन एवं सहयोग की आवश्यकता होगी।
15	बैठकों, अभियान व दीवार लेखन आदि के माध्यम से स्वच्छता, शौचालयों के निर्माण एवं प्रयोग हेतु जागरूक करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य ।
16	जिला स्तर पर विभिन्न विभागों से संपर्क कर शौचालय निर्माण, ग्राम पंचायत व घाटों पर स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाओं को स्थापित किया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
17	कूड़ादान के उचित उपयोग हेतु समुदाय को जागरूक करना एवं समय समय पर विशेषकर	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।

	त्योहारों एवं मेलों के बाद स्वच्छता अभियान करना।	
18	जैविक एवं अजैविक कूड़े एवं उसके निपटान के बारे में समुदाय को जागरूक करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
19	ग्राम पंचायत को पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत कूड़ा निस्तारण की जगह (Dumping ground) चिन्हित करने हेतु तैयार करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय रूप से व्यवहार्य परंतु तकनीकी व बजट हेतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
20	गंगा की स्वच्छता के लिये मासिक बैठक कर ग्राम पंचायतवासियों व गंगा प्रहरियों के सहयोग से गंगा के तट व घाटो की सफाई की जायेगी।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
21	गंगा नदी की पारिस्थितिकी, जैवविविधता एवं उस पर संकट के बारे में समुदाय को जागरूक करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
22	पंचायत स्तर पर जैवविविधता प्रबन्धन समिति के गठन हेतु पहल करना।	विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
23	जैवविविधता प्रबन्धन समिति के साथ गंगा के जलीय जीवों के संरक्षण के संबंध में चर्चा एवं उसमें उनकी भूमिका सुनिश्चित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
24	वन विभाग के साथ निरंतर संपर्क एवं जलीय जीवों के अवैध शिकार पर निगरानी हेतु एक तंत्र तैयार करना।	विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
25	गंगा प्रहरियों के लिये जागरूकता, सर्वेक्षण, बचाव एवं पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
26	रसायनिक खादों के प्रयोग से स्वास्थ्य एवं जैवविविधता पर होने वाले दुष्प्रभावों पर जागरूकता।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
27	जैविक कृषि के लाभ पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता

		होगी।
28	जैविक कृषि से संबंधित योजनाओं की जानकारी हेतु कृषि विभाग के साथ सामंजस्य स्थापित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
29	उन्नत कृषि, कृषि वानिकी एवं खेतों में चारा घास रोपण हेतु जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही कृषि विभाग के सहयोग से किसानों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
30	किसानों को जैविक खाद बनाने के तरीकों एवं इनके महत्व के बारे में जानकारी दी जायेगी।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
31	नर्सरी या पौधशाला निर्माण के विषय में रेखीय विभागों के साथ समन्वय बना का ग्राम स्तर पर षिविर, बैठकों के माध्यम से जानकारी देना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
32	फूलों की खेती करने हेतु समुदाय को प्रेरित करना एवं संबंधित विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
33	बंजर खेतों एवं मेंढ़ों पर चारा घास रोपण हेतु जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही कृषि विभाग के सहयोग से किसानों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
34	विभागीय सहयोग (पशुपालन विभाग, बाएफ) से अच्छी नस्ल के दुधारू पशु, दूध उत्पादन को बढाने के लिये चारे के उत्पादन व पौष्टिक चारे विषय में जानकारी दी जायेगी।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
35	ग्राम पंचायत के नवयुवको को पशुपालन, डेरी सम्बन्धी व्यवसाय से जीविकापार्जन करने के लिये प्रेरित किया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
36	ग्राम स्तर पर पशुचिकित्सा विभाग के सहयोग से	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व

	पशुओं की चिकित्सा शिविर आदि लगाये जायेगें , जिसमें पशुओं का टीकाकरण एवं बीमारियों का उपचार किया जायेगा।	आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।

7.2 वित्तीय आवश्यकता एवं बजट

ग्राम पंचायत तिनटंगा दियारा दक्षिण में क्रियान्वित की जाने वाली समस्त गतिविधियों का क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के आर्थिक सहयोग से किया जायेगा। तकनीकी सहयोग हेतु जिला स्तरीय विभागों के साथ समनवयन किया जायेगा। जहाँ तक संभव हो संबंधित विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को समुदाय तक पंहुचाने का प्रयास किया जायेगा जिससे कार्यक्रम क्रियान्वयन में आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सके।

बजट तिनटंगा दियारा दक्षिण				
क्रम सं0	**गतिविधि**	**संख्या**	**दर**	**कुल राशि**
1	**सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम**			
i	जैवविविधता पर जागरूकता हेतु रैली	10	10000	100000
ii	नुक्कड़ नाटक	10	20000	200000
iii	दीवार लेखन	50	500	25000
iv	घाटों पर सूचना बोर्ड/होर्डिंग लगाना	5	10000	50000
v	जैवविविधता प्रबन्धन समिति का गठन एवं गंगा के जलीय जीवों के संरक्षण में उनकी भूमिका पर चर्चा।	6	5000	30000
vi	विभिन्न विभागों/कार्यक्रमों के सहयोग से स्थानीय समुदाय के लिये विभिन्न आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करना।	5	5000	25000
vii	जैविक एवं अजैविक कूड़े एवं उसके निपटान के बारे में समुदाय को जागरूक करना।	8	5000	40000
	कुल			**470000**
2	**कार्यशाला एवं प्रशिक्षण**			

i	जैवविविधता संरक्षण के विभिन्न पक्षों पर समुदाय व विद्यालयों में बच्चों और अध्यापकों के साथ कार्यशाला एवं प्रशिक्षण।	5	30000	150000
ii	समूह के सदस्यों, गंगा प्रहरी व बाल गंगा प्रहरी को जैवविविधता संबंधी कार्यों में प्रतिभाग करने हेतु प्रशिक्षित करना।	2	20000	40000
iii	आजीविका एवं कौशल विकास प्रशिक्षणों का आयोजन	4	100000	400000
iv	प्रशिक्षित लाभार्थियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं (सब्सिडी/लोन) की जानकारी देने हेतु कार्यशाला का आयोजन	2	20000	40000
v	गंगा प्रहरियों के लिये जागरूकता, सर्वेक्षण, बचाव एवं पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन।	2	50000	100000
vi	रसायनिक खादों के प्रयोग से स्वास्थ्य एवं जैवविविधता पर होने वाले दुष्प्रभावों एवं जैविक कृषि के लाभ पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण।	2	50000	100000
vii	उन्नत कृषि, कृषि वानिकी, पशुपालन एवं खेतों में चारा घास रोपण हेतु जागरूकता एवं प्रशिक्षण (कृषि विभाग के सहयोग से)	1	50000	50000
	कुल			**880000**
3	**प्रदर्शन एवं निर्माण**			
i	प्रदर्शन (Demonstration) वर्मी कम्पोस्ट पिट का निर्माण	2	20000	40000
ii	उन्नत कृषि, कृषि वानिकी एवं खेतों में चारा घास रोपण का प्रर्दशन (Demonstration)	2	50000	100000
iii	पशु चिकित्सा शिविर	4	10000	40000
iv	सक्रिय समूह को आजीविका संबंधी कार्यक्रम शुरू करने हेतु रिवॉल्विंग फंड			50000
v	स्वच्छता अभियान का आयोजन	16	2000	32000
vi	गांव एवं घाटों पर स्वच्छता संबन्धित व्यवस्थाओं को स्थापित करना (कूड़ादान लगाना)	5	8000	40000
v	गंगा किनारे वृक्षारोपण			20000
vi	नर्सरी व फूलों की खेती हेतु प्रदर्शन खेत निर्माण	1	20000	20000

				342000
4	**मानवशक्ति एवं यात्राव्यय**			
i	फील्ड असिस्टेंट (दो वर्ष हेतु)	1	10000	240000
ii	यात्रा व्यय			100000
				340000
			कुल (1+2+3+4)	**2032000**

7.3 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

उपरोक्त कार्ययोजना का समय समय पर अनुश्रवण कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जायेगा। कार्यक्रम के अनुश्रवण से हमें कार्यक्रम क्रियान्वयन की प्रगति व उसमें आने वाली बाधाओं की जानकारी प्राप्त होगी एवं मूल्यांकन कर कार्ययोजना के अनुरूप क्रियान्वयन प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा सकता है। ग्राम पंचायत स्तर पर गठित समूहों व गंगा प्रहरियों के माध्यम से कार्यक्रम का अनुश्रवण किया जायेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर रखे जाने वाले रिकार्ड्स के भी कार्यक्रम के अनुश्रवण में सहायक होंगें।

7.4 पारस्परिक संकल्प एवं उत्तरदायित्व

कार्यक्रम क्रियान्वयन में समुदाय एवं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एन0एम0सी0जी) – भारतीय वन्यजीव संस्थान की टीम के उत्तरदायित्व निम्नवत होंगें –

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एन0एम0सी0जी) एवं भारतीय वन्य जीव संस्थान टीम

- जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण हेतु बजट की व्यवस्था करना।
- गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
- जलीय जीवों के बचाव व पुनर्वास हेतु आवश्यक जानकारी प्रदान करना।
- आजीविका एवं कौशल संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से समन्वयन स्थापित करना।

समुदाय

- विभिन्न गतिविधियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षणों में भागीदारी करना।
- सहमत कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु स्थान प्रदान करना।

- संकटग्रस्त जलीय जीवों की जानकारी संबंधित विभाग/कार्यकर्ताओं को देना।
- आजीविका एवं कौशल संबंधी प्रशिक्षणों में सक्रिय भागीदारी करना।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों को सहयोग करना।
- समय समय पर स्वच्छता संबंधी कार्यक्रम का क्रियान्वयन।
- जागरूकता संबंधी कार्यक्रम का आयोजन।

7.5 विवाद का निपटारा

ग्राम पंचायत में पंचायत स्तर पर विवाद का निपटारा आपसी सहमति से किया जायेगा।

7.6 अभिलेखों का रखरखाव

अभिलेखों के रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत या उनके द्वारा चयनित प्रतिनिधि की होगी जिसके लिये ग्राम स्तर पर चयनित गंगा प्रहरियों का सहयोग लिया जा सकता है।

- गंगा की स्वच्छता एवं वृक्षारोपण सम्बन्धी कार्यक्रम हेतु रजिस्टर
- विभिन्न कार्यक्रम के फोटोग्राफ
- क्रियान्वित कार्यक्रम की रिपोर्ट
- प्रशिक्षण में शामिल प्रशिक्षणर्थियों का विवरण
- गंगा प्रहरी द्वारा की जा रही कार्यक्रम का विवरण

7.7 सफलता के सूचक

1. गंगा नदी एवं उसके बेसिन में जलीय जीवों के संरक्षण हेतु गंगा प्रहरियों का एक संवर्ग (cadre) तैयार हो चुका है तथा स्थानीय समुदायों एवं अन्य हितधारकों को संवेदीकृत एवं प्रशिक्षित किया जा चुका है।
2. कार्यक्रम के हितधारकों, उनकी आवश्यकताओं और गंगा के संरक्षण हेतु उनकी भूमिका सुनिश्चित कर ली गई है।
3. ग्राम पंचायत में एक मंच तैयार किया जा चुका है जहाँ पर विभिन्न हितधारक गंगा एवं उसकी जलीय जैवविविधता के संरक्षण से संबंधित चर्चा एवं क्रियाकलाप कर सकते हैं।
4. गंगा नदी पर आश्रित समुदाय हेतु कौषल व क्षमता विकास प्रशिक्षण किये जा चुके हैं।
5. समुदाय जैविक कृषि कार्यक्रमों को अपनाने हेतु पहल कर रहा है।
6. ग्राम पंचायत व घाटों पर स्वच्छता की स्थिति में सुधार हुआ है।

7. समुदाय गंगा जैवविविधता संबंधी कार्यक्रम के प्रति जागरूक है एवं इसके लिये स्वंय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है।

8. आजीविका के अवसरों में वृद्धि।

9. गंगा प्रहरियों के द्वारा लगातार समुदाय को गंगा के जलीय जीवों के महत्व तथा संरक्षण के बारे में जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है।

समझौता ज्ञापन

Wildlife Institute of India / भारतीय वन्यजीव संस्थान

Panchayati Raj

नमामिगंगे

जैव विविधता संरक्षण एवं गंगा जीर्णोद्धार राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार एवं भारतीय वन्य जीव संस्थान का प्रयास

समझौता ज्ञापन

जल संसाधन,नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन(NMCG) ने सभी भागीदारों को एक साथ लाकर गंगा नदी की जैवविविधता के मूल्य को बहाल करने के लिए एक दृष्टिकोण विकसित किया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा लागू की जानेवाली परियोजना " जैवविविधता संरक्षण और गंगा जीर्णोद्वार" इस संरक्षण की नीतिका एक अभिन्न हिस्सा है इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय समुदायों के सहयोग से, गंगा नदी की जलीय प्रजातियो के लिए बहाली योजना विकसित करना है, जिसके लिए शामिल दलों द्वारा समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जा रहा है।

समझौता ज्ञापन के पक्षधारी

इस समझौता ज्ञापन पर पर्यावरण एवं वनविभाग बिहार ....वन विभाग भागलपुर.......पंचायत (........ तिनटंगा दियारा ....) और भारतीय वन्यजीव संस्थान के बीच .06./ 03/2018 .... दिन पर हस्ताक्षर किए गए है।

समझौता ज्ञापन के विषय

यह दस्तावेज गंगा नदी की जलीय प्रजातियों की बहाली के लिए शामिल दलों द्वारा परस्पर सहयोग के लिए प्रतिबद्वता तथा निम्न उद्देश्यों को सामूहिक रुप से प्राप्त करने की दिशा में प्रयास को दर्शाता है:

1- स्थानीय समुदायों के बीच,गंगा नदी के प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए,गंगा प्रहरी का सृजन।

2–घायल एवं बीमार जलीय जीव–जंतुओं के बचाव तथा पुर्नवास के लिए सक्रिय भागीदारी,विशेष रुप से स्थानीय समुदायों द्वारा।

3– नदी पारिस्थितिकीतंत्र द्वारा प्रदान की जानेवाली सेवाओ का दीर्घकालिक उपयोग।

4–सम्मिलित पंचायत के सभी सदस्यों के लिए स्थान-विशेष दीर्घकालिक आजीविका नीतियों की पहचान और विकास का प्रयास।

सभी दल इस समझौते ज्ञापन का सम्मान करने के लिए सहमति प्रदान करते है।

समझौते के लिए पक्षधारियों के हस्ताक्षर:

भारतीय वन्यजीव संस्थान की ओर से हस्ताक्षर	पर्या0 एवं वनविभाग,बिहार की ओर से हस्ताक्षर	पंचायत की ओर से हस्ताक्षर
हस्ताक्षर–	हस्ताक्षर–	हस्ताक्षर– भोला मंडल
नाम–डा. रुचिबडोला	नाम– S.SUDHAKAR	नाम– भोला मंडल
शीर्षक–परियोजना समन्वयक,भारतीय वन्यजीव संस्थान	शीर्षक– DFO Bhagalpur	शीर्षक– मुखिया ग्राम पंचायत, तिनटंगा दियारा
दिनांक–	दिनांक– 7/3/2018	दिनांक– 06/03/2018

सामाजिक मानचित्र ग्राम पंचायत तिनटंगा दियारा दक्षिण

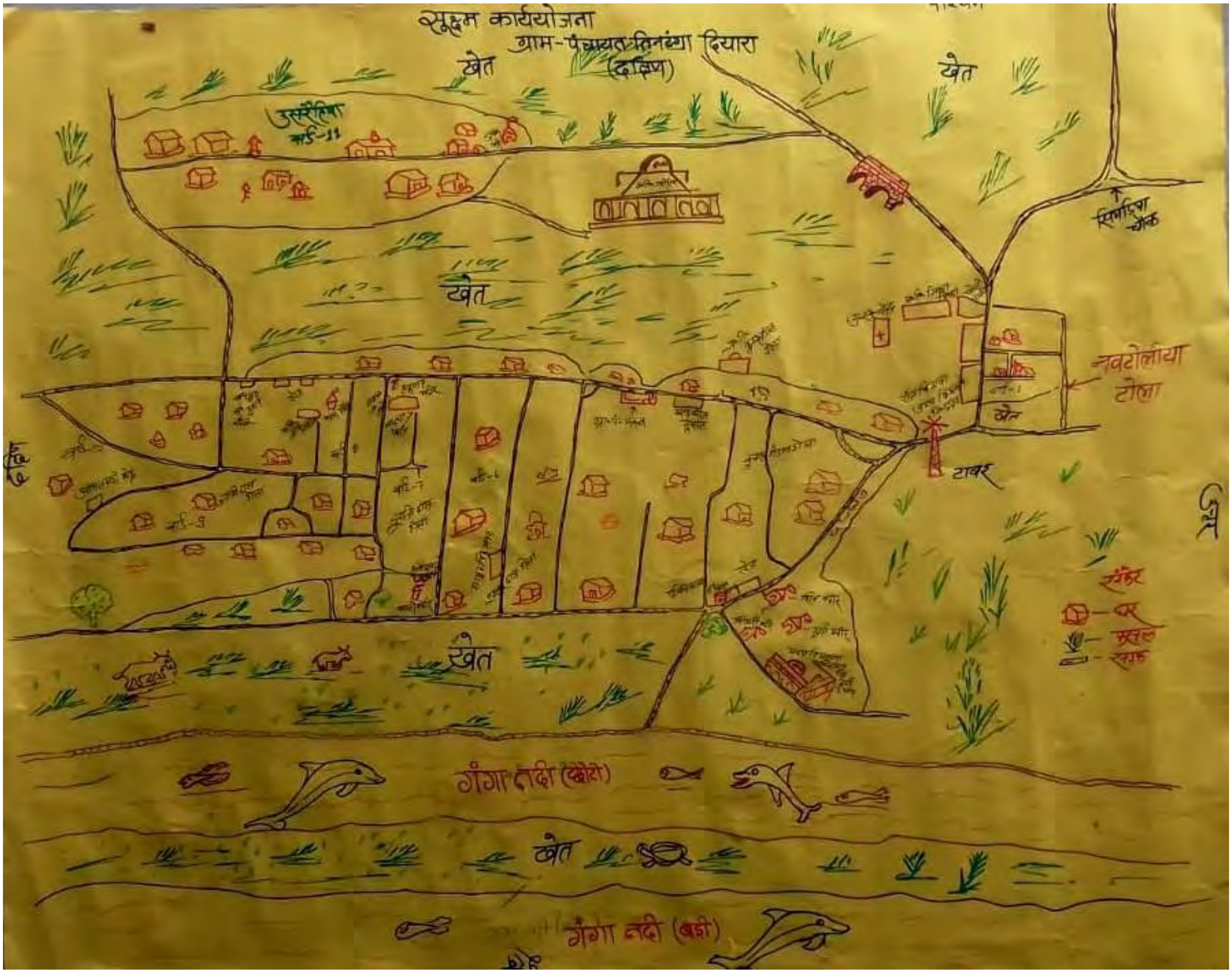

सूक्ष्म नियोजन हेतु बैठक में उपस्थित समुदाय की सूची

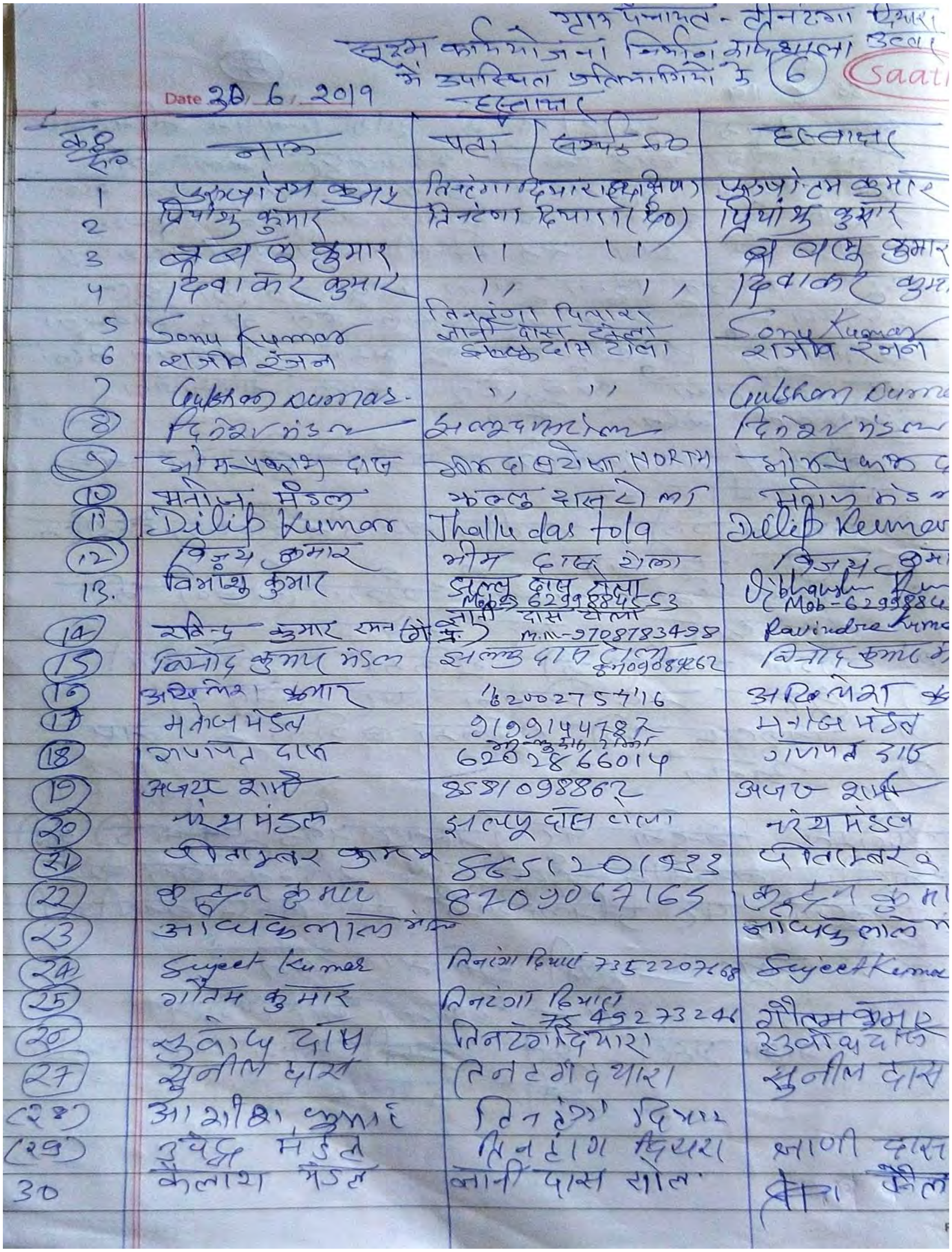

ग्राम पंचायत - तीनटंगा दियारा
सूक्ष्म कार्ययोजना निर्माण कार्यशाला उपस्थित
में उपस्थित प्रतिभागियों के हस्ताक्षर

Date 20.6.2019

क्र० सं०	नाम	पता / मोबाईल नं०	हस्ताक्षर
1	पुरुषोत्तम कुमार	तिनटंगा दियारा	पुरुषोत्तम कुमार
2	प्रियांशु कुमार	तिनटंगा दियारा	प्रियांशु कुमार
3	बबलू कुमार	,, ,,	बबलू कुमार
4	दिवाकर कुमार	,, ,,	दिवाकर कुमार
5	Sonu Kumar	तिनटंगा दियारा जानी दास टोला	Sonu Kumar
6	राजीव रंजन	झल्लू दास टोला	राजीव रंजन
7	Gulshan Kumar	,, ,,	Gulshan Kumar
8	दिनेश मंडल	झल्लू दास टोला	दिनेश मंडल
9	ओमप्रकाश दास	NORTH	ओमप्रकाश दास
10	मनोज मंडल	झल्लू दास टोला	मनोज मंडल
11	Dilip Kumar	Jhallu das tola	Dilip Kumar
12	विजय कुमार	भीम दास टोला	विजय कुमार
13.	विभांशु कुमार	झल्लू दास टोला Mob 6299884553	Vibhanshu Kumar (Mob-6299884...)
14	रविन्द्र कुमार रमन	जानी दास टोला M-9708783498	Ravindra Kumar
15	विनोद कुमार मंडल	झल्लू दास टोला 8109088862	विनोद कुमार मंडल
16	अखिलेश कुमार	6200275416	अखिलेश कुमार
17	मनोज मंडल	9199144787	मनोज मंडल
18	गणपत दास	6202866014	गणपत दास
19	अजय शर्मा	8581098862	अजय शर्मा
20	नरेश मंडल	झल्लू दास टोला	नरेश मंडल
21	पीताम्बर कुमार	8651201933	पीताम्बर कुमार
22	कुन्दन कुमार	8709067165	कुन्दन कुमार
23	आचकेलाल मंडल		आचकेलाल मंडल
24	Sujeet Kumar	तिनटंगा दियारा 7352207268	Sujeet Kumar
25	गौतम कुमार	तिनटंगा दियारा 7549273241	गौतम कुमार
26	सुबोध दास	तिनटंगा दियारा	सुबोध दास
27	सुनील दास	तिनटंगा दियारा	सुनील दास
28	आशीष कुमार	तिनटंगा दियारा	
29	उपेन्द्र मंडल	तिनटंगा दियारा	जानी दास
30	कैलाश मंडल	जानी दास टोला	कैलाश

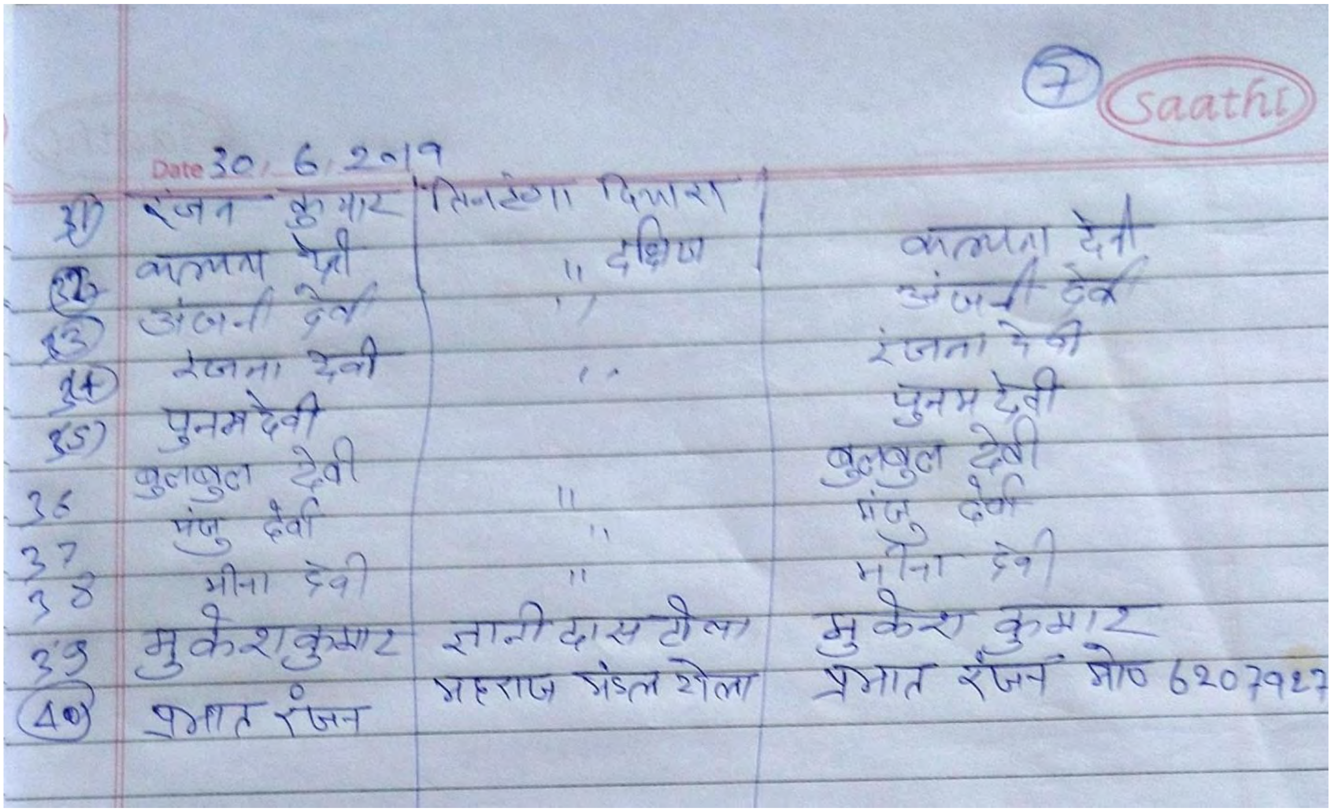

7 Saathi

Date 30. 6. 2019

31	रंजन कुमार	तिनटेंगा दियारा	
32	कल्पना देवी	" दक्षिण	कल्पना देवी
33	अंजनी देवी	"	अंजनी देवी
34	रंजना देवी	"	रंजना देवी
35	पुनम देवी		पुनम देवी
36	बुलबुल देवी	"	बुलबुल देवी
37	मंजु देवी	"	मंजु देवी
38	मीना देवी	"	मीना देवी
39	मुकेश कुमार	ज्ञानी दास टोला	मुकेश कुमार
40	प्रभात रंजन	महराज मंडल टोला	प्रभात रंजन मो० 6207927

फोटो गैलरी

Biodiversity And Ganga Conservation
Ganga Prahari Program

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

NMCG

National Mission for Clean Ganga, Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation

GACMC

Ganga Aqualife Conservation Monitoring Centre

Wildlife Institute of India

Post Box #18, Chandrabani Dehradun - 248001 Uttarakhand, India t.: +91135 2640114-15,
+91135 2646100
f.: +91135 2640117